तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
20/11/19	वकलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

पीठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 51/2018
तारीख निर्णय– 20/11/2019

प्रार्थी :–

1. पेपीबाई पत्नी छोगाराम जी
2. ढलकी पुत्री छोगाराम जी
3. जीवी पुत्री छोगाराम जी
4. मृत बुटी पुत्री छोगाराम के वारिसान
   4/1 भैराराम पुत्र बुटी
   4/2 रेखा पुत्री बुटी
5. मृत सुकी पुत्री छोगाराम जी के वारिसान
   5/1 मनीषा पुत्री सुकी उम्र–12 नाबालिग जरिये संरक्षक मासी प्रार्थी संख्या तीन जीवी तमाम जातिगण–माली, निवासीगण–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज)

–: बनाम :–

अप्रार्थीगण–

1. अनाराम पुत्र छोगाराम जी जाति–माली निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज)
2. राजस्थान सरकार(भूमिधारी) जरिये तहसीलदार देसूरी जिला–पाली

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से– वकील सुधीर कुमार श्रीमाली।
2– अप्रार्थीगण संख्या–1 की ओर से बाबुलाल माली।

निर्णय दिनांक 20.11.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे [illegible] प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 [illegible] अधिनियम, 1955 सपठित के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम नाडोल चक प्रथम तहसील–देसूरी जिला–पाली के खसरा नम्बर 1790/5367 रकबा 0.8848 हेक्टर, खसरा नम्बर

लगातार पेज न. 2

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

1790/5366 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1790/2 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल रकबा 1.1348 हैक्टर भूमि स्थित है। वादग्रस्त आराजी प्राथीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता/पति स्वर्गीय छोगा पुत्र रता जाति–माली निवासी–नाडोल की खातेदारी व कब्जासूद थी। यानि वादगस्त आराजी का प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जासूद थी। जो पूराने राजस्व रिकार्ड तथा नामान्तरण संख्या 4 दिनांक 4/3/1989 से भी स्पष्ट है। मृत छोगा पुत्र रताजी की मृत्यु होने पर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या एक सभी उनके जीवित उत्तराधिकारी व वारिसान होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या एक ने अपने प्रभाव से बाले बाले मात्र. राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तरण संख्या 5 के अप्रार्थी संख्या एक का नाम अकेले दर्ज कर दिया। जबकि स्वर्गीय छोगाजी की विधवा पत्नी प्रार्थीनी संख्या एक तथा प्रार्थी संख्या 2 से 5 पुत्रिया जीवित थी। जिससे बावजूद विधि विरूद्व तरीके से मात्र अप्रार्थी संख्या एक का नाम ही नामान्तरण संख्या 5 के दर्ज कर दिया। जिससे उक्त नामान्तरण एबनिसियों वोईड है। जिससे सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में उक्त वोईड नामान्तरण के जरिये मात्र अप्रार्थी संख्या एक को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। प्रार्थीगण अनपढ व गरीब महिलाए है। प्रार्थीनी संख्या एक के पास भरणपोषण रहने की भी सुविधा नही है। इसके ठीक विपरीत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को वंचित करने की बदनियति से अपने नाम का गलत फायदा उठाते हुए वादग्रस्त आराजी के मूलभूत स्वरूप मे रद्दोबदल करने की कोशिश की जा रही है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण ने गत माह वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त की तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई। इसी कम में अप्रार्थी संख्या एक ने संयुक्त वादग्रस्त आराजी में से कुछ भाग यानि 1/4 हिस्से से भी कम भाग को आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करवाया है। जबकि सयुक्त वादग्रस्त आराजी का कुछ भाग आवासीय सम्परिवर्तन अकेले अप्रार्थी संख्या एक को करवाने का कोई हक अधिकार नही है। यहा यह भी स्पष्ट रूप से अधिवचित करना महत्वपूर्ण है कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी मात्र स्वर्गीय छोगाजी की खातेदारी व कब्जासूद होने से तथा प्रार्थीगण का भी हक, अधिकार विधिक रूप से निहित होने से मात्र अप्रार्थी संख्या एक द्वारा मात्र प्रार्थीगण को उनके हक, अधिकारो से वंचित करने की बदनियति से वादग्रस्त आराजी का मात्र कुछ भाग सम्परिवर्तन आवासिया करवा देने मात्र प्रार्थीगण के हक अधिकार समाप्त नही हो सकते है। आज भी सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली पडी है। अप्रार्थी संख्या एक अकेले वादग्रस्त आराजी के भौतिक स्वरूप को रद्दोबदल करना चाहतो है। जिससे भी अप्रार्थी संख्या एक को निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या एक की सयुक्त अविभाजित खातेदारी व कब्जासूद है। स्वर्गीय छोगाजी के कुल वारिसान छः होने से बतौर पत्नी प्रार्थीया संख्या एक का 1/6 हिस्सा प्रार्थीया संख्या दो से पांच का बतौर पुत्रीयां के 1/6–1/6 हिस्सा यानि समस्त प्रार्थीगण का 5/6 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या एक का 1/6 हिस्सा खातेदारी व कब्जासूद है। जिससे सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स

लगातार पेज न. 3

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:22 IST
Reason: SelfAttested

एण्ड बाउण्डस बंटवाडा भी आज तक नहीं हुआ है।प्रार्थीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का तदनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाना चाहते है। जिसका प्रार्थीगण का पूर्ण विधिक अधिकार है।मूल वाद के निर्णय में काफी समय लगेगा तब तक अप्रार्थी संख्या एक अपने गलत मकसद में कामयाब हो जावेगा। अप्रार्थी संख्या एक जबरदस्ती बलपूर्वक उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को अकेले ही हडपना चाहता है। जिससे तुरन्त ही जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या एक को रोकना अतिआवश्यक है, अन्यथा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन भी नही किया जा सकता है।

अतः वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग का किसी भी प्रकार से बेचान या अन्य हस्तातरण, रद्वोबदल या सम्परिवर्तन नही करे, न ही भौतिक स्वरूप मे रद्वोबदल करे एवं प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग, काश्त मे अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी, हस्तक्षेप नही करें जिस हेतु जरिये निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी संख्या 1 ओर से वकील श्री बाबुलाल माली ने वकालत नामा पेश किया। वकील अप्रार्थीगण संख्या एक की ओर से दिनांक 21.08.2019 को जवाब पेश किये।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का जबाब इस प्रकार पेश कर निवेदन किया कि वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी वर्ष 1989 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 1 अनाराम के पिता मौखिक रूप से उक्त भूमि उनके जीवनकाल मे अनाराम को सुपुर्द कर दी थी जिसके फलस्वरूप आज दिन तक अनाराम ही उस पर काबिज है एवम् काश्त कर रहा हैं। उक्त भूमि सिवाय चक हो गई थी जिसको भी अनाराम ने ही कोर्ट में मुकदमा लडकर वापस खातेदारी करवाई जिसमें प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही थ एवं न ही वे पक्षकार थे। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता की मृत्यु के समय भी समस्त प्रार्थीगण पटवारी के पास जाकर अप्रार्थी संख्या 1 का नामान्तरकरण भरने हेतु निवेदन किया था। अन्य प्रार्थीगण द्वारा आज दिन तक इतने लम्बे समय तक इस बाबत कोई उजर ऐतराज नही किया। अब उनकी नियत मे फर्क आने से उन्होने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी संख्या 1 पेपीबाई की सेवा चाकरी अपने इकलोते पुत्र अनाराम द्वारा ही की जा रही थी। परन्तु कुछ दिन पहले अपनी पुत्रियां द्वारा उसे गलत सिखावट से एवं उसकी पुत्रियों की नियत मे फर्क आ गया है और वे जमीन की कीमत बढ जाने से कारण उसे हडपने की नियत से पेश किया है तथा परिवर्तन सुदा भूमि पर किसी प्रकार की खेती नही की जा सकती है जिससे उक्त प्रार्थी पत्र का कोई अधिकार नही है एवं प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:22 IST
Reason: SelfAttested

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस के समर्थन मे निम्न लिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश

लगातार पेज न. 4

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

किये:–

1. Gopal vs Ramdayal 2014 (2)WLN 93 (Raj)

वकील अप्रार्थी ने बहस के समर्थन मे निम्न लिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

1. Prakash vs phulavati 2016 (1)RRT 29
2. Jagdish singh vs ramkaran 2012(1)RRT 232
3. Uttam vs Saubhag singh 2016(2)RRT 1309
4. Ramkaran vs Smt. Ghewari 2010(2)RRT 1392

इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी का मूलभूत उदगम आधार पिता/पति स्वर्गीय छोगा पुत्र रताजी होने से प्रार्थीगण का भी हक, अधिकार निहित है व वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या एक की सयुक्त खातेदारी व कब्जासूद है। उक्त सम्परिवर्तन कार्यवाही प्रार्थीगण के निहित विधिक अधिकारो के प्रतिकूल है।

जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया अप्रार्थी संख्या एक के पिता ने मौखिक रूप से उक्त भूमि उनके जीवनकाल में ही अनाराम को सुपुर्द कर दी थी।

वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय छोगा पुत्र रताजी माली की खातेदारी व कब्जासूद होने से उनके मृत्योपरान्त प्रार्थीगण एवं अप्राथी एक सभी हिन्दू विधि अनुसार प्रथम अनुसूचि मे वर्णित उत्तराधिकारी व वारिसान है। तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से लिखित सहमति बताई गई जिसमें सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्द की गई हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। नामान्तरण संख्या 5 के अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अकेले दर्ज किया गया। जबकि प्रार्थी संख्या 1 तथा प्रार्थी संख्या 1 की पुत्रिया जीवित थी। अतः सुंविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:22 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर [illegible] किया गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने से मात्र प्रार्थीगण के उनके हक, अधिकारो से वंचित [illegible] की बदनियति से अप्रार्थी संख्या एक अकेले वादग्रस्त आराजी से अवैध लाभ तथा आगे और भी वादग्रस्त आराजी के भैतिक

लगातार पेज न. 5

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

स्वरूप को रद्दोबदल करना चाहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्याकन भी नहीं किया जा सकेगा। जबकि वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि मात्र उक्त भूमि की कीमतों मे बढोतरी होने से उसे हडपने की नियत से प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वाद खातेदारी की घोषणा व बंटवाडा का है। वादग्रस्त आराजी के मुकदमे की सुनवाई होकर निर्णय होने में काफी समय लगेगा इस दौरान यदि आराजियात का अन्तरण हो गया तो वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुल्याकन नही किया जायेगा।ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को उपरोक्त आराजियात के अन्तरण करने से रोका जाना आवश्यक है। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन मे मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है, जिससे इसी अनुसार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है एवं दौराने वाद वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द आगे हस्तान्तरण किये जाने की सूरत मे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होता है जिससे न्यायालय की राय प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है अतएवं

–: आदेश :–

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 01 विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि– कृषि भूमि ग्राम सरहद ग्राम नाडोल चक प्रथम तहसील–देसूरी जिला–पाली के खसरा नम्बर 1790/5367 रकबा 0.8848 हैक्टर, खसरा नम्बर 1790/5366 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1790/2 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल रकबा 1.1348 हैक्टर भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 20/11/2019 को [illegible] में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)